सं. 2/13/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नई दिल्ली, दिनांक ०५ जनवरी, 2017

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक

विषय : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणो की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन् 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाता है।

2. इस दिन को मनाने के लिए निम्नलिखित स्थायी अनुदेश निर्धारित किए गए है :-

(i) प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूर्वाहन् 11: 00 बजे देश भर में दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए।

(ii) जहाँ उपलब्ध हो, दो मिनट का मौन रखा जाना चाहिए तथा काम और गतिविधियाँ रोक दी जानी चाहिए। दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना पूर्वाहन् 10.59 बजे से 11: 00 बजे तक सायरन बजाकर दी जानी चाहिए और फिर दो मिनट बाद 11: 02 से 11: 03 बजे तक पुनः ऑल क्लीयर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहाँ सायरन उपलब्ध हो वहाँ यही कार्यविधि अपनाई जाए।

(iii) सिगनल (जहाँ उपलबध हों), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें। मौन धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमरे में अथवा किसी दूसरे स्थान पर, अकेले खड़े होने के बजाए सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही स्थान पर इकट्ठे खड़े होना अधिक प्रभावशाली होगा। फिर भी यदि कार्य में अत्यधिक अस्त–व्यस्तता होने की आशंका हो तो सबको एक जगह एकत्रित किए जाने के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) जिन स्थानो पर सिग्नल की कोई व्यवस्था न हो वहाँ पूर्वाहन् 11: 00 बजे दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

3. विगत में, यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों मे दो मिनट का मौन रखा जाता है परन्तु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने कामकाज में लगी रहती है। इसलिए, राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे शहीद दिवस पर शहीदों के प्रति श्रद्धा-सम्मान की भावना को जागरूक करते हुए इस श्रद्धांजलि में जनता के प्रत्येक वर्ग की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इस प्रयोजनार्थ उनसे निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है:-

(i) शहीद दिवस को गंभीरतापूर्वक तथा उचित रूप से मनाए जाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए जाए। इस दिन के महत्व के बारे में भाषण और वार्ताएं आयोजित की जाएं जिनमें भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाए। कठिनाई से प्राप्त की गई स्वतंत्रता की संरक्षा, सुरक्षा तथा समृद्धि के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य और नैतिक दायित्व को इन भाषणों एवं वार्ताओं का विषय बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना के संवर्धन तथा साझा उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया जा सकता है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें ऐसे कार्यक्रमों और/अथवा फिल्मों/वृत चित्रों का आयोजन कर सकती है जिनका मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की भूमिका और राष्ट्रीय एकता हो ।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य और उद्योग संघो से भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाए कि उनके सदस्य, सम्बद्ध एसोसिएशनें तथा संगठन शहीद दिवस को उचित रूप से मनाएं।

वी.के.राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

प्रतिलिपि, सभी राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

वी.के.राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

संख्या 2/13/2016-पब्लिक नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी, 2017.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप- राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्चतम न्यायालय
7. मन्त्रिमंडलीय सचिवालय
8. राज्य सभा सचिवालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. नीति आयोग
11. निवार्चन आयोग
12. संघ लोक सेवा आयोग
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
14. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
18. विधि आयोग
19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. गृह मंत्रालय के दिल्ली / नई दिल्ली स्थित सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
24. प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001, समारोह की उचित मीडिया कवरेज देने के लिए ।
26. ए.डी.जी. (मीडिया), गृह मंत्रालय

अतिरिक्त प्रतियां - 10

वी.के. राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376